पत्र संख्या :-ओ0/रा0मा0आ0 (विविध)-04/2009(अंश) ..../

अति महत्वपूर्ण

BHRC

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषकः

राजभूषण प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
बिहार, पटना

पटना, दिनांक................ , 2016

विषयः- **बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना में संविदा के आधार पर निबंधक के पद पर नियोजन से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना में संविदा के आधार पर निबंधक के पद पर नियोजन से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति की तीन प्रतियाँ (सी0डी0 सहित) संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशन हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(राजभूषण प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-ओ0/रा0मा0आ0(विविध)-04/2009(अंश)............./ **पटना, दिनांक.................**

प्रतिलिपिः- सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, 9 बेली रोड, पटना को उनके पत्रांक-19055 दिनांक-26.05.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-ओ0/रा0मा0आ0(विविध)-04/2009(अंश)-6790/ **पटना, दिनांक** 20/7/16,

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को इस प्रेस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर यथाशीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0 - यथोक्त।

20.7.16
सरकार के अवर सचिव

71 De0- All dept

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)
प्रेस विज्ञप्ति

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना में संविदा के आधार पर निबंधक के पद पर नियोजन के संबंध में विज्ञापन

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना में स्वीकृत निबंधक (जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सम्तुल्य) के एक पद के विरूद्व संविदा/अनुबंध के आधार पर न्यायिक सेवा संवर्ग से सेवानिवृत्त पदाधिकारी की सेवा लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 एवं कार्यालय आदेश संख्या–396 दिनांक–16.10.2012 के निहित प्रावधानों के तहत् न्यायिक सेवा संवर्ग के इच्छुक सेवानिवृत पदाधिकारी से निम्नांकित शर्तो पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

1. निबंधक के पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर चयन प्रथम चरण में दो वर्षो के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यो के समीक्षोपरान्त किया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अनुबंध समयावधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है।
2. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
3. अनुबंध अवधि की समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनिर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
4. अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारम्भ होगा।
5. चयन समिति आवश्यकतानुसार साक्षात्कार कर अपनी अनुशंसा देगी। चयन हेतु पदाधिकारी का सेवा इतिहास स्वच्छ रहना आवश्यक होगा। आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवार की अधिकत्तम उम्र दिनांक–01.07.2016 तक 63 वर्ष से अधिक न हो।
6. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश गृह विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा।
7. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा।
8. अनुबंध के आधार पर नियोजित पदाधिकारी का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होनेवाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाकर निर्धारित किया जाएगा।
9. चयनित उम्मीदवार की सेवा अधिकत्तम उम्र 65 वर्ष तक ही ली जायेगी।

10. न्यायिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत इच्छुक व्यक्ति अपनी योग्यता तथा पूर्व धारित पदों की विवरणी सहित स्वयं अथवा निबंधित डाक से अपना आवेदन पत्र दिनांक–10.08.2016 के अपराह्न तक विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के कार्यालय के पते पर समर्पित कर सकते हैं।

20.7.16

(राजभूषण प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव